शहर की
छत्तीसगढ़ का पहला मिड-डे अखबार
जनता से रिश्ता

राज्यपाल से छिना कुलपति नियुक्ति का अधिकार, कैबिनेट ने बनाए नए नियम

जसेरि रिपोर्टर

रायपुर। अब राज्य सरकार विश्वविद्यालयों में अपनी पसंद से कुलपति की नियुक्ति कर सकेगी। साथ ही, किसी भी कुलपति को हटाने की अनुशंसा कर सकती है। सरकार ने प्राइवेट स्कूलों में बेतहाशा फीस पर लगाम लगाने के लिए मंत्रियों की एक उप समिति बनाई है, जो फीस में एकरूपता के लिए सिफारिश करेगी। इसके अलावा आधा दर्जन से ज्यादा संशोधक विधेयकों को मंजूरी दी गई है।

सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई कैबिनेट ने इस संबंध में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब तक कुलपति की नियुक्ति और हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास था। सरकार तीन नामों का पैनल भेजती थी, जिसमें से राज्यपाल अपनी पसंद से एक का चयन करते थे। अब सरकार जिस नाम की अनुशंसा करेगी, राज्यपाल को उसी की नियुक्ति करनी होगी। कैबिनेट ने शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी खोलने को भी मंजूरी दी है। बता दें कि पं. सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति को लेकर राजभवन और सरकार आमने-सामने आ गए थे। दोनों ही विश्वविद्यालयों में राज्यपाल ने जो नियुक्तियां की हैं, उससे सरकार सहमत नहीं थी। इस वजह से विवाद की स्थिति बनी थी। हालांकि बाद में राजभवन की ओर से यह स्पष्ट किया गया था कि सरकार से समन्वय के बाद ही नियुक्तियां की गई थीं। राज्य सरकार ने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता व जनसंचार विवि और पं. सुंदरलाल शर्मा मुक्त विवि को छत्तीसगढ़ विवि (संशोधन) विधेयक के अंतर्गत लाने का फैसला किया है।

अब सभी विश्वविद्यालयों का संचालन और कुलपति की नियुक्ति एक ही प्रक्रिया के तहत होगी।

पत्रकारिता विवि अब चंदूलाल चंद्राकर के नाम पर होगा

राज्य सरकार ने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय का नाम बदलकर पूर्व सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व पत्रकार चंदूलाल चंद्राकर के नाम पर करने का फैसला किया है। ठाकरे विश्वविद्यालय का गठन 2008 में किया गया था। कांग्रेस सरकार बनने के बाद से ही नाम बदलने की चर्चा थी। कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है। इसी तरह कामधेनु विश्वविद्यालय का नाम अब दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय होगा। वासुदेव चंद्राकर को सीएम बघेल का राजनीतिक गुरु कहा जाता है।

तीन माह पहले बनी समिति भी चला सकेगी पीडीएस दुकान

राज्य सरकार ने पीडीएस के अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों के संचालन के लिए तीन साल की शर्त को हटाकर तीन माह करने का फैसला किया है। यानी अब तीन माह पहले बनी समिति या महिला स्व-सहायता समूह उचित मूल्य दुकानों का संचालन कर सकेंगे। इस फैसले से जहां नई समितियों या समूहों को मौका मिलेगा, वहीं बड़ी संख्या में पहले से काम कर रही समितियों को बाहर कर दिया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। सरकार अब बाजार से चना खरीदेगी। कैबिनेट ने आबकारी संशोधन विधेयक का अनुमोदन किया है। इसके अंतर्गत 49 बीयर बार को बंद किया जाएगा। हालांकि हाईवे के किनारे बीयर व विदेशी शराब के बार बढ़ जाएंगे। आयाकट विभाग को विलोपित कर जल संसाधन विभाग में समाहित करने का अनुमोदन किया गया है।

2013 से पहले बस-ट्रक के टैक्स से छूट

एक महत्वपूर्ण फैसले में सरकार ने 2013 से पहले बसों के मासिक व ट्रकों के त्रैमासिक बकाया टैक्स की राशि को माफ कर दिया है। इसी के साथ वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का ऐलान किया है। इसके अंतर्गत बस व ट्रकों के लिए बकाया राशि के भुगतान में पेनाल्टी पर छूट दी जाएगी। परिवहन विभाग का करीब 20 करोड़ लंबे समय से बकाया है, जिसे वसूलने के लिए यह योजना लाई गई है। बता दें कि पेनाल्टी और उस पर ब्याज ज्यादा होने के कारण ट्रांसपोर्टर कई सालों से टैक्स नहीं पटा पा रहे थे। इस वजह से विभाग को भी बड़ा नुकसान हो रहा था। इसे ध्यान में रखकर ही यह फैसला किया गया है।

अजा प्राधिकरण में 5 और जिले शामिल

सरकार ने अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण में चार और जिलों को शामिल करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत मुंगेली, बलौदाबाजार-भाटापारा, गरियाबंद, बेमेतरा और बालोद को शामिल गया है। ये सभी पुनर्गठित जिले हैं जो प्राधिकरण में शामिल नहीं थे। अब सरकार के फैसले के बाद ये जिले भी प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में आएंगे। इसी तरह नवगठित गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के लिए जिला योजना समिति के गठन का अनुमोदन किया गया है।

इन विधेयकों के प्रारूप को कैबिनेट ने दी मंजूरी

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा, माल और सेवा कर, कृषि उपज मंडी, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, कामधेनु विश्वविद्यालय, आबकारी संशोधन, सहकारी सोसाइटी, नगर तथा ग्राम निवेश नियम, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय संशोधन, कुशाभाऊ ठाकरे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय व निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन विधेयक शामिल हैं।

नई पर्यटन नीति को मंजूरी

छत्तीसगढ़ में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई पर्यटन नीति-2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। इसमें राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने, पर्यटन को उद्योग का स्वरूप देने के साथ ही पर्यटन गतिविधियों में स्थानीय समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। नई नीति के तहत जो होटल-मोटल बंद हैं, उन्हें चालू करने के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है, जिससे पर्यटन मंडल को आय हो सके।

शक्कर कारखानों में पीपीपी मोड पर एथेनाल प्लांट

सरकार ने चार सहकारी शक्कर कारखानों कवर्धा, पंडरिया, बालोद और अंबिकापुर में पीपीपी मोड में एथेनाल प्लांट स्थापित करने की सैद्धांतिक सहमति दी है। एथेनाल प्लांट लगाने के लिए सरकार लंबे समय से कोशिश कर रही थी। गन्ने के अलावा धान से भी एथेनाल बनाने के लिए मांग की जा रही है, जिससे किसानों का रबी और खरीफ का धान 2500 में खरीद सकें।

आदिवासियों का जुगाड़...पत्ते को बनाया मास्क

कांकेर । छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए बगैर मास्क लगाए नहीं निकलने की एडवाजरी तो जारी कर दी, लेकिन दूरस्थ इलाकों में मास्क की उपलब्धता नहीं है. ऐसे में कांकेर में ग्रामीण व आदिवासियों ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देशी तरीका अपनाया है। उन्होंने पेड़ के पत्तों से ही मास्क बना लिया है और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आसपास अस्पताल नहीं होने के कारण ये देशी जुगाड़ ग्रामीणों ने अपनाया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश में लॉकडाउन कर दिया गया है. राज्य व जिलों की सीमाएं भी सील कर दी गई हैं। ऐसे में कांकेर के आमाबेड़ा जैसे दूरस्थ इलाके के ग्राम कुरूटोला से जागरूकता की मिसाल देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। आसपास मेकिडकल की व्यवस्था नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने पेड़ के बड़े पत्तों का मास्क बनाया है और उसी का उपयोग कर रहे हैं।

सुकमा जिले के 61 पुलिस जवानों को आउट ऑफटर्न प्रमोशन

रायपुर। डीजीपी डीएम अवस्थी ने सुकमा जिले के 61 पुलिसकर्मियों को आउट ऑफटर्न प्रमोशन देने का आदेश जारी किया है। सुकमा जिले में विभिन्न पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में अदम्य साहस एवं वीरता का परिचय देने पर उक्त कर्मियों को आउट ऑफटर्न प्रमोशन का आदेश जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि नक्सल प्रभावित जिलों में पुलिसकर्मी विपरीत परिस्थितियों में भी साहस के साथ नक्सलियों से मुकाबला कर रहे हैं। श्री अवस्थी ने बताया कि नक्सल प्रभावित अन्य जिलों में भी अदम्य साहस का परिचय देने वाले पुलिस कर्मियों के लिए शीघ्र ही इसी प्रकार पदोन्नति आदेश जारी किए जाएंगे। पुलिसकर्मियों को निरीक्षक, कमांडर, कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर, सहायक उप निरीक्षक एवं प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नति दी गई है। पदोन्नति पाने वालों में बृज लाल, आशीष राजपूत, लखेश केवट,विजय प्रताप, कृष्ण चंद्र, नितेश ठाकुर, विकाश प्रताप, टंकेश्वर लहरे, राकेश सिंह, श्यामनाथ, पुखराज, नवरत्न, सुबोध, वीरेंद्र यदु,सोढ़ी कन्ना, कट्टम राजू,रामू राम, धनराज, विकास सिंह, कट्टम लच्छा, मड़कम, माडवी मुया, सुन्नम समिया, मड़कम राजू, सोयम मुकेश, सोड़ी हड़मा, रतिराम, धारा सिंह, सलवम संकू, सोयम राजेश, गीतेश्वर यादव, बारसे भीमा, सोयम दुला, सोयम एनका, सामनाथ यादव, वीरेंद्र नाग, मड़कम जोगा, सोयम लच्छू, अनीश कुमार, पंडा रमेश, आस मुकेश, माणिकलाल कुरेटी, पोडियम धुरवा, तिलक पोया, रोहित शोरी, मेहतुराम मरकाम, विजय मरकाम, प्रनीत खलको, नारायण सलाम, सराधू नाग, सोयम रमेश, ताती हुंगा, सलीम तिर्की, अखिलेश कोर्राम, अनिल सोरी, मंगलराम, शनि कुर्रे, हरेंद्र यादव, सलवम नागेश, विश्वनाथ यादव और नागेश्वर कोर्राम शामिल हैं।

बहन के आतंक से भाई-भाभी और तलाकशुदा पति प्रताड़ित

- संपत्ति हड़पने अपना रही है गुंडा-बदमाश से धमकी-चमकी के हथकंडे
- जेल रोड स्थित खानदानी होटल की पुस्तैनी लड़ाई में आया नया मोड़
- घर की लड़ाई सड़क पर आई

रायपुर (जसेरि)। स्वार्थ इंसान को जानवर बना देता है, यहीं तथाकथित कहानी प्रॉपर्टी की लालच में एक बहन ने अपने सगे भाई-भाभी को कहीं का नहीं छोड़ा है। यह आरोप भाई-भाभी और तलाकशुदा पति ने आप बीती प्रेस विज्ञप्ति में जारी कर मीडिया से प्रशासन के संज्ञान में लाने की गुहार लगाई है। नेहा पुरोहित लगातार 15 से 20 वर्षों से परिवार को तंग कर रही है। अपने भाई के खिलाफ लगातार लड़ाई झगड़े करना और गुंडों दादा के माध्यम से अलग-अलग जगह पर स्थानों पर आवेदन देकर अपराधों दर्ज कराने की नाकाम कोशिश कर रही है। योगिता ने बताया कि ननंद नेहा पिता के गुजर जाने के बाद अपने नितेश भाई के घर आकर जबरन रहने लगी और होटल व्यवसाय में दखल देने लगी तथा अपना हक और हिस्सा जताने में गुरेज नहीं की। योगिता पुरोहित का पति जो होटल का कारोबारी है निहायत शरीफ और सीधा होने के कारण अपने खानदान की इज्जत को बनाये रखने के लिए हमेशा अपनी बहन की बात को सुनता था लेकिन बहन जो है अपने भाई का हिस्सा दबाना चाहती थी, इसलिए प्रतिदिन बहन-भाभी और भाई के साथ झगड़े करती थी और झगड़े चरम सीमा में पहुंच गए। अब मामला एक दूसरे को निपटाने, निपटाई आ गया है । ये कहानी है रायपुर शहर के पुराने होटल कारोबारी समाज में मान प्रतिष्ठा वाले परिवार की । समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा ध्यान रखते हुए भाई ने कई मामले में अपनी बहन को घर से बाहर निकालने की कभी भी कोई कोशिश नहीं की,उसके बावजूद बहन ने हमेशा भाई के खिलाफ हर विभाग में हर जगह शिकायत और एफआईआर दर्ज कराने की नाकाम कोशिश करती रही। वर्तमान में नेहा दवे ने अपने कुछ असामाजिक तत्व और तथाकथित गनमैन गुंडों के माध्यम से भाई बहनों और रिश्तेदारों को कई तरह की साजिश रचने की धमकी दी और यहां तक कह दिया कि अगर आप किसी के पास जाओगे तो हम उसको भी शारीरिक क्षति पहुंचा सकते और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को हम खराब कर सकते हैं । हम झूठे आरोप में उसको और जो साथ देगा उसको भी हम झूठे आरोप लगाकर उसके खिलाफ अपराध दर्ज कराएंगे । उपरोक्त सभी मामला सरसरी तौर पर कीमती भूखंडों प्रॉपर्टी का मामला लगता है, जिसमें दोनों भाई बहनों की लड़ाई झगड़ा और अनुचित दबाव का मामला है। उक्त मामले में पिछले तीन-चार सालों से संबंधित पक्षों को सुलह कराने के लिए शहर के नामी गिरामी वकील सामाजिक सरोकार रखने वाले बड़े लोग भी शामिल होकर अपने हाथ जला चुके हैं । अब यह मामला स्वार्थ में उतारू महिला के द्वारा जगह-जगह सामाजिक राजनीतिक पार्टियों की सुर्खियों में है। राजनीतिक पार्टी के व्यवसाई द्वारा बेकसूर होने के बावजूद अपने आप को बचाने के लिए अपने दोस्ती और खानदान को त्यागना पड़ रहा है । उक्त महिला द्वारा लगातार व्यवसाय के खिलाफ बढ़-चढ़कर वकीलों के माध्यम से और अपने राजनीतिक संरक्षणकर्ताओं के माध्यम से बदनाम करने की तरह तरह की साजिश के तहत सभी थानों में आईजी और डीआईजी तक फर्जी रिपोर्ट लिखवाने तक का कार्य अंजाम दिया जा चुका है।

सभी मामले में विवेचना होना और सच्चाई सामने आना बाकी है उपरोक्त बातें जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में पुरोहित परिवार सहित लड़की के पति कृष्णा दवे नितेश पुरोहित भाई और योगिता पुरोहित भाभी की विज्ञप्ति के अनुसार ननंद व्दारा लगातार फर्जी केस में फंसाने की धमकी और औरत होने का नाजायज फायदा उठाकर धमकी चमकी दे रही है। हमारे करीबी दोस्त जो इस शहर के बड़े इज्जतदार परिवार से हैं जिनका भी होटल व्यवसाय में अच्छा खासा दखल है उनको जबरन हमारे साथ घसीट कर टारगेट कर रही है, इसका हमारे पुरोहित परिवार व्दारा विरोध करने पर हमें भी जान से मारने की धमकी और गलत केस में फंसाने की धमकी लगातार ननंद द्वारा दी जाती है । कृष्णा दवे जो तलाकशुदा बहन के पति है, उसको भी प्रताड़ना और जबरन झूठे केस में फंसाने की नाकाम कोशिश और मारपीट की गयी है। सगी बुआ को भी ननंद ने जमकर मारा है। सच्चाई यह है मेरी बहन को मेरी प्रॉपर्टी में जबरदस्ती हिस्सा चाहिए, जिसके चलते मेरा मेरे परिवार का जीना दुभर हो गया है और मैं अभी अपनी सामाजिक मान प्रतिष्ठा को बचाने हेतु अखबार के माध्यम से मीडिया के माध्यम से और टीवी चैनलों के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर उक्त घटना को विवरण सहित बता रहा हूं । कृपया आप अपने अखबार, टीवी चैनल और वेबसाइट में इसे प्रकाशित करें और सरकार के संज्ञान में लाकर मुझे और मेरे परिवार को न्याय दिलाने में मदद करें।

प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पुरोहित परिवार ने शासन-प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप कर मानसिक, शारीरिक प्रताड़ना से मुक्ति दिलाने की गुहार सरकार से योगिता पुरोहित,नितेश पुरोहित,कृष्णा दवे, पता- होटल गिरिराज, स्टेशन रोड, रायपुर ने लगाई है।

(नेहा पुरोहित द्वारा प्रताड़ित किए जाने को लेकर योगिता पुरोहित ने ली थी प्रेसवार्ता)

नक्सलियों की कायराना करतूत, ग्रामीण को मौत के घाट उतारा

दंतेवाड़ा। पूरा देश कोरोनावायरस के संकट के दौर से गुजर रहा है और दूसरी तरफ नक्सली अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। राष्ट्रीय संकट के दौर में भी नक्सली खून-खराबा कर समाज में आतंक मचाने की कोशिश कर रहे हैं। रविवार को सुकमा की घटना के बाद सोमवार की रात एक बार फिर नक्सलियों ने एक कायराना करतूत को अंजाम देते हुए दंतेवाड़ा जिले में एक ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया। नक्सलियों ने ग्रामीण पर पुलिस का मुखबीर होने के शक में उसकी हत्या कर दी। ग्रामीण की हत्या के बाद नक्सलियों ने अन्य ग्रामीणों को धमकी देते हुए यह भी कहा कि अगर मामले की जानकारी पुलिस को दी तो ठीक नहीं होगा। इसके बाद दहशत में आए ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दिए बगैर मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया है।

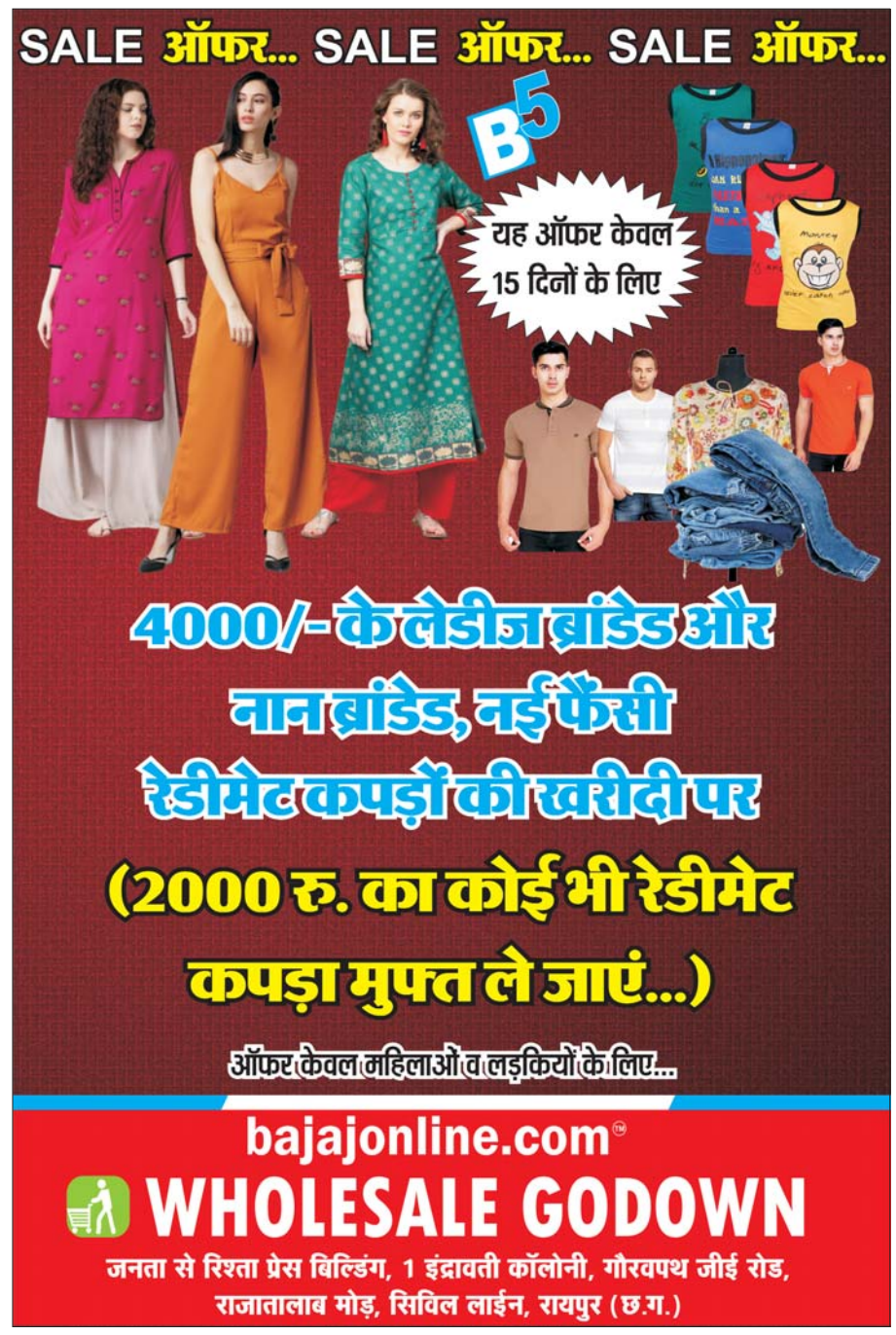

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक **पप्पू फरिश्ता**, द्वारा 'जनता से रिश्ता' प्रेस **HN** 29/56 इंद्रावती कॉलोनी, राजातालाब, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। **संपादक-सनत चतुर्वेदी CHHHIN/2013/53387** फोन नं. 0771-2430777, फैक्स नं. 2445200